राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.4(ई)/नि.प./364/94/ अलेसे– III/ 12309-14 दिनांकः– 23-12-15

आदेश

श्री सुरेन्द्र कुमार, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय, कोषाधिकारी, बांसवाड़ा को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.1(8)वित्त/नियम/2002 दिनांक 22.05.2003 में वर्णित शर्तों के अनुसार विभागीय आदेश क्रमांक 81 दिनांक 20.10.2005 द्वारा विशेष अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया था। अवकाश समाप्ति के उपरान्त श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने पर विभागीय पत्र संख्या एफ.4(ई)/365/94/अलेसे–III/237–38 दिनांक 16.02.2015 द्वारा नोटिस जारी कर अपना स्पष्टीकरण/जवाब 15 दिवस में प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। किन्तु उक्त नोटिस का कोई जवाब प्राप्त नहीं होने के कारण स्थानीय समाचार पत्र ("प्रातःकाल" दिनांक 06.11.2015) के माध्यम से नोटिस प्रकाशित करवा कर श्री सुरेन्द्र कुमार को 15 दिवस की अवधि में अपना स्पष्टीकरण/जवाब प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया था। किन्तु श्री सुरेन्द्र कुमार की तरफ से आदिनांक कोई जवाब/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है और न ही कार्यग्रहण किया गया है इससे स्पष्ट होता है कि श्री सुरेन्द्र कुमार राजकीय सेवा करने के इच्छुक नहीं हैं।

अतः वित्त विभाग(नियम डिविजन), जयपुर के आदेश एफ.1(8)वित्त/नियम/2002 दिनांक 22.05.2003 के अनुसरण में एतद्द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार को तुरन्त प्रभाव से सेवा से पृथक किया जाता है।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.4(ई)/नि.प./364/94/ अलेसे– III/ 12309-14 दिनांकः– 23-12-15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, बांसवाड़ा
3. अति. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. श्री सुरेन्द्र कुमार, कनिष्ठ लेखाकार, 14–अ, बादूबली कॉलोनी, बांसवाड़ा।
5. उपनिदेशक, एसीपी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।

(प्रदीप माथुर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक– III)